<u>संख्या-1599/26-4-2023</u>

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 03 दिसम्बर,2023

विषय: बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि हम सभी अवगत ही हैं कि 06 दिसम्बर,2023 को भारतरत्न बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर का 67वां परिनिर्वाण दिवस है। यह दिवस हम सबको उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं मूल्यों पर चलने के लिए पुनर्संकल्पित होने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई, सामाजिक न्याय की प्रतिस्थापना, सशक्तीकरण के साधनों के रूप में शिक्षा पर विशेष जोर एवं समावेशी व समतावादी समाज की स्थापना के सन्दर्भ में उनका दर्शन आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। अमृतकाल के इस दौर में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पूरी क्षमता हासिल कर विश्वगुरू बनने की राह पर अग्रसर हो इसके लिए हमें बाबा साहब द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं मूल्यों को आत्मसात कर उनके द्वारा दिखाये गये मार्ग पर पूरी निष्ठा के साथ चलने का व्रत लेना होगा और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 को बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करने के लिए इस अवसर पर निम्नलिखित कार्यक्रम कराना सुनिश्चित करें:-

1. <u>पुष्पांजलि सभा</u>: इस दिवस पर सभी सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब को स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि दिये जाने हेतु पुष्पांजलि सभा का आयोजन कर बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किये जाये।
2. **कार्यालयों में बाबा साहब का चित्र लगाया जाना**: समस्त सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर का चित्र लगाये जाने के निर्देश पूर्व से ही लागू हैं| इन निर्देशों का अनुपालन पुन: सुनिश्चित करा लिया जाए।
3. <u>भाषण/व्याख्यान कार्यक्रम</u>: समस्त शिक्षण संस्थाओं में युवाओं के लिए भाषण/व्याख्यान कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएँ, जिससे बाबा साहब के विचार एवं दर्शन से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्रा)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या-1599(1)/26-4-2023 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त निजी सचिव, मा0 उप मुख्य मंत्री, मा0 मंत्री, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं मा0 राज्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 हरिओम)
प्रमुख सचिव।